राजस्व अपील नं० 38/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.10.23	पत्रावली पेश हुई / वकील अपीलांट उपस्थित / वकील अपीलांट द्वारा पत्रावली में बहस हेतु समय चाहा है / न्यायहित में अवसर दिया जाता है / पत्रावली आयन्दा दि० 29/11/23 को पेश हो/	
29/11/23	पत्रावली पेश हुई / वकील अपीलांट उप० / वकील अपीलांट द्वारा पत्रावली में बहस हेतु समय चाहा है / वकील अपीलांट को बहस हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है / पत्रावली आयन्दा दिनांक 12/12/2023 को पेश हो/ अति. जिला कलक्टर बाली (पाली)	
12/12/23	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी की और से अधिवक्ता श्री अमृत परिहार ने वकालतनामा पेश किया। अपीलार्थी अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब हेतु मौखिक निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली पर मौजुद रहने से अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब किया जाना न्यायालय उचित नहीं समझती है। दोनो पक्षों की और से बहस समाहीत की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दिनांक 05.08.2022 की आदेश तालिका का अवलोकन किया गया जिसमे आगामी पेशी 10.08.2022 अंकन है। अंतिम आदेश तालिका जिसके जरिये प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया गया है, उसमें दिनांक का उल्लेख नहीं है। अपीलार्थी अधिवक्ता का मूल रुप से न्यायालय का ध्यान इस और आकृष्ट करने की कोशिश की गई कि अपीलार्थी भूमिहीन है, एवं अपीलाधीन आदेश से संबंधित कृषि भूमि पर अपीलार्थी का पुराना कब्जा है। अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जिससे उक्त भूमि में नियमन की सिफारिश किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली के परिशीलन एवं विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, बेड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक नील को अपास्त किया जाना एवं प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश पारित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश अपास्त किया जाता है, एवं अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि अपीलाधीन प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः नम्बर पर लेकर अपीलार्थी (गैर सायल) को नोटीस जारी कर सुनवाई का उचित अवसर देकर रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन कर अपीलार्थी के प्रकरण के संबंध में नये सिरे से न्यायसंगत आदेश पारित करें। उक्त अनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार,बेड़ा को रिमाण्ड किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। 12/12/23 अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली जिला-पाली	